राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

मध्याह्न भोजन योजना
Mid day Meal Scheme

क्रमांकः–एफ 4(142) प्रा.शिक्षा/एमडीएम/एफ.सी.आई./खाद्यान्न उ0वि0आ0/पार्ट/2020–21/ 51 दिनांकः– 10-06-2020

जिला कलक्टर
जिला समस्त

विषयः– COVID–19 के कारण विद्यालय बन्द रहने की अवधि में एवं ग्रीष्मावकाश में विद्यार्थियों को मिड डे मील योजनान्तर्गत खाद्यान्न (गेहूं /चावल) वितरण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

प्रसंगः– मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अ.शा.पत्र संख्या 1–2 /2020 Desk (MDM) दिनांक 29.04.2020

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक प्रासंगिक पत्र के क्रम में मिड डे मील COVID–19 के कारण विद्यालय बन्द रहने की अवधि में एवं ग्रीष्मावकाश की अवधि का खाद्यान्न वितरण के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 09.06.2020 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार राजकीय विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता–पिता /अभिभावक को विद्यालय में खाद्यान्न (गेहूं/ चावल) उपलब्ध कराया जाना है।

विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता–पिता /अभिभावक को खाद्यान्न सुव्यवस्थित ढंग से वितरण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निम्नानुसार आवश्यक निर्देश प्रदान करने का श्रम करें:–

खाद्यान्न (गेहूं /चावल) वितरण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश :–

1. जिले में खाद्य सामग्री वितरण हेतु रूप रेखा तैयार कर सम्बन्धित अधिकारियों को सुव्यवस्थित ढंग से खाद्य सामग्री वितरण के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश प्रदान किये जायें।
2. खाद्यान्न (गेहूं/चावल) के वितरण की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक सम्पादन हेतु जिला/खण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किये जायें ताकि इस कार्य की सुव्यवस्थित मोनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके। जिला स्तर पर नियुक्त नोडल अधिकारी नियमित आयुक्तालय को अद्यतन स्थिति से अवगत करायेंगे। जिला/खण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर नियुक्त नोडल अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर कार्य सम्पादित करेंगे।

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय

मिड डे मील योजना

(Mid Day Meal Scheme)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid day Meal Scheme

COVID–19 के कारण विद्यालय बन्द रहने एवं ग्रीष्मावकाश की अवधि में खाद्यान्न (गेहूं /चावल) उपलब्ध कराने के लिये निर्धारित मात्रा।

अवधि	दिवस	कक्षा 1 से 5	कक्षा 6 से 8
14 मार्च, 2020 से 16 मई, 2020 (COVID–19 के कारण विद्यालय बन्द रहने की अवधि)	49	100 ग्राम प्रति छात्र–प्रति दिवस के अनुसार कुल 94 दिवस के अनुसार **09 किलो 400 ग्राम** खाद्यान्न (गेहूं /चावल) प्रत्येक छात्र–छात्रा के माता–पिता /अभिभावक को वितरित किये जायेंगे।	150 ग्राम प्रति छात्र–प्रति दिवस के अनुसार कुल 94 दिवस के अनुसार **14 किलो 100 ग्राम** खाद्यान्न (गेहूं/चावल) प्रत्येक छात्र–छात्रा के माता–पिता /अभिभावक को वितरित किये जायेंगे।
17 मई, 2020 से 30 जून, 2020 (ग्रीष्मावकाश)	45		
योग	94		

9. विद्यालय जिनमें स्वयं सेवी संस्थाओं (NGO)/स्वयं सहायता समूह पोषाहार उपलब्ध कराते है, उन समस्त विद्यालयों में सम्बन्धित स्वयं सेवी संस्थाओं (NGO)/स्वयं सहायता समूह उनके यहां उपलब्ध खाद्यान्न (गेहूं/चावल) सम्बन्धित विद्यालयों को उपलब्ध करायेंगे। स्वयं सेवी संस्था /स्वयं सहायता समूह द्वारा उपलब्ध कराये गये खाद्यान्न को विद्यालय प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों के माता–पिता /अभिभावक को विद्यालय में वितरित किया जायेगा।

10. विद्यार्थियों के माता–पिता /अभिभावक को वितरित किये जा रहे खाद्यान्न की प्राप्ति रसीद एवं आवश्यक रेकॉर्ड विद्यालय/संस्था में संधारित किये जायेंगे। सम्बन्धित प्रभारी एवं संस्थाप्रधान खाद्यान्न वितरण की प्राप्ति रसीदों को प्रमाणित कर पीईईओ को समेकित सूचना उपलब्ध करायेंगे।

विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावक को उपलब्ध कराये जा रहे खाद्यान्न की प्राप्ति निम्न प्रपत्र में प्राप्त की जाये।

क्र. सं.	नाम विद्यार्थी	माता–पिता/ अभिभावक का नाम	कक्षा	खाद्यान्न की मात्रा (किलोग्राम में)			खाद्यान्न प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर	दिनांक
				गेहूं	चावल	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय
मिड डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid day Meal Scheme

क्रमांकः–एफ 4(142) प्रा.शिक्षा/एमडीएम/एफ.सी.आई./खाद्यान्न उ0वि0आ0/पार्ट/2020–21/310 दिनांकः– 8/9/2020

जिला कलक्टर
जिला समस्त

विषयः– COVID–19 के कारण विद्यालय बन्द रहने की अवधि (जुलाई, 2020 से अगस्त, 2020) में विद्यार्थियों को मिड डे मील योजनान्तर्गत खाद्यान्न (गेहूं /चावल) वितरण के सम्बन्ध में ।

प्रसंगः– मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अ.शा.पत्र संख्या 1–2 /2020 Desk (MDM) दिनांक 31.07.2020 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 51 दिनांक 10.06.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में निर्देशानुसार मिड डे मील योजनान्तर्गत COVID–19 के कारण विद्यालय बन्द रहने की अवधि (माह जुलाई, 2020 से अगस्त, 2020) में मुख्य सचिव, महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 09.06.2020 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार ही राजकीय विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावक को विद्यालय में खाद्यान्न (गेहूं/चावल) वितरण किया जाना है।

विद्यालयों में वर्तमान में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावक को खाद्यान्न सुव्यवस्थित ढंग से वितरण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान करने का श्रम करें। विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावकों को निम्नानुसार निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न (गेहूं/चावल) उपलब्ध कराया जाना है:–

क्र. सं.	माह का नाम	शैक्षणिक दिवस (AWP Plan)	कक्षा 1 से 5 के लिए खाद्यान्न (प्रति विद्यार्थी) (गेहूं/चावल)	कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए खाद्यान्न (प्रति विद्यार्थी) (गेहूं/चावल)
01	जुलाई, 2020	27	2.700 किलोग्राम	4.050 किलोग्राम
02	अगस्त, 2020	21	2.100 किलोग्राम	3.150 किलोग्राम
	योग		4.800 किलोग्राम	7.200 किलोग्राम

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा COVID–19 के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशानुसार Social Distance Maintain करते हुये खाद्यान्न का वितरण किया जाये।

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid day Meal Scheme

क्रमांकः–एफ 4(142) प्रा.शिक्षा/एमडीएम/एफ.सी.आई./खाद्यान्न उ0वि0आ0/पार्ट/2020–21/445 दिनांकः–11/11/2020

जिला कलक्टर
जिला समस्त

विषयः– COVID–19 के कारण विद्यालय बन्द रहने की अवधि (01 सितम्बर, 2020 से 31 अक्टूबर, 2020) में विद्यार्थियों को मिड डे मील योजनान्तर्गत खाद्यान्न (गेहूं /चावल) वितरण के सम्बन्ध में ।

प्रसंगः– मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अ.शा.पत्र संख्या 1–2 /2020 Desk (MDM) दिनांक 31.07.2020 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 51 दिनांक 10.06.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में मिड डे मील योजना संचालित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावकों को COVID–19 के कारण विद्यालय बन्द रहने की अवधि (01 सितम्बर, 2020 से 31 अक्टूबर, 2020 तक) का खाद्यान्न (गेहूं/चावल) उपलब्ध कराया जाना है।

इस अवधि में कक्षा 1 से 8 के पात्र विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावक को खाद्यान्न सुव्यवस्थित ढंग से वितरण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान करने का श्रम करें। विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावकों को माह सितम्बर, 2020 से अक्टूबर, 2020 तक के लिए निम्नलिखित निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न (गेहूं/चावल) का वितरण विभागीय पत्र संख्या 51 दिनांक 10.06.2020 द्वारा जारी दिशा–निर्देशानुसार किया जाना है:–

क्र. सं.	माह का नाम	शैक्षणिक दिवस (AWP Plan 2020-21)	कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए खाद्यान्न (गेहूं/चावल)	कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए खाद्यान्न (गेहूं/चावल)
01	सितम्बर, 2020	26	2.600 किलोग्राम	3.900 किलोग्राम
02	अक्टूबर, 2020	23	2.300 किलोग्राम	3.450 किलोग्राम
योग		**49**	**4.900 किलोग्राम**	**7.350 किलोग्राम**

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा COVID–19 के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशानुसार Social Distance Maintain करते हुये खाद्यान्न का वितरण किया जाये। इस अवधि के

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय

मिड डे मील योजना

(Mid Day Meal Scheme)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid day Meal Scheme

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्रमांकः—एफ 4(142) प्रा.शिक्षा / एमडीएम / एफ.सी.आई. / खाद्यान्न उ0वि0आ0 / पार्ट / 2020—21 / 588 दिनांकः— 7/1/2021

जिला कलक्टर
जिला समस्त

विषयः— COVID—19 के कारण विद्यालय बन्द रहने की अवधि (01 नवम्बर, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020) में विद्यार्थियों को मिड डे मील योजनान्तर्गत खाद्यान्न (गेहूं / चावल) वितरण के सम्बन्ध में ।

प्रसंगः— मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अ.शा.पत्र संख्या 1—2 / 2020 Desk (MDM) दिनांक 31.07.2020 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 51 दिनांक 10.06.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में मिड डे मील योजना संचालित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता—पिता / अभिभावकों को COVID—19 के कारण विद्यालय बन्द रहने की अवधि (01 नवम्बर, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक) का खाद्यान्न (गेहूं / चावल) उपलब्ध कराया जाना है।

इस अवधि में कक्षा 1 से 8 के पात्र विद्यार्थियों के माता—पिता / अभिभावक को खाद्यान्न सुव्यवस्थित ढंग से वितरण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान करने का श्रम करें। विद्यार्थियों के माता—पिता / अभिभावकों को माह नवम्बर, 2020 से दिसम्बर, 2020 तक के लिए निम्नलिखित निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न (गेहूं / चावल) का वितरण विभागीय पत्र संख्या 51 दिनांक 10.06.2020 द्वारा जारी दिशा—निर्देशानुसार किया जाना हैः—

क्र. सं.	माह का नाम	शैक्षणिक दिवस (AWP Plan 2020-21)	कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए खाद्यान्न (गेहूं / चावल)	कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए खाद्यान्न (गेहूं / चावल)
01	नवम्बर 2020	17	1.700 किलोग्राम	2.550 किलोग्राम
02	दिसम्बर 2020	21	2.100 किलोग्राम	3.150 किलोग्राम
योग		**38**	**3.800 किलोग्राम**	**5.700 किलोग्राम**

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा COVID—19 के सम्बन्ध में जारी दिशा—निर्देशानुसार Social Distance Maintain करते हुये खाद्यान्न का वितरण किया जाये।

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid day Meal Scheme

क्रमांकः–एफ 4(142) प्रा.शिक्षा / एमडीएम / एफ.सी.आई. / खाद्यान्न उ0वि0आ0 / पार्ट / 2020–21 / 803 दिनांकः– 17/03/2021

जिला कलक्टर
जिला समस्त ।

विषयः– COVID–19 अन्तर्गत दिनांक 01 जनवरी, 2021 से 28 फरवरी, 2021 की अवधि का खाद्यान्न (गेहूं / चावल) वितरण के सम्बन्ध में ।

प्रसंगः– मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अ.शा.पत्र संख्या 1–2 /2020 Desk (MDM) दिनांक 31.07.2020 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 51 दिनांक 10.06.2020

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में मिड डे मील योजना संचालित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता–पिता / अभिभावकों को COVID–19 अन्तर्गत दिनांक 01 जनवरी, 2021 से 31 मार्च, 2021 की अवधि का खाद्यान्न (गेहूं / चावल) उपलब्ध कराया जाना है।

कक्षा 1 से 5 के पात्र विद्यार्थियों के माता–पिता / अभिभावक को 100 ग्राम प्रति छात्र प्रति दिवस एवं कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत स्वयं विद्यार्थियों अथवा उनके माता–पिता / अभिभावकों को 150 ग्राम खाद्यान्न प्रति छात्र प्रति दिवस की दर से निम्नलिखित दिवस का खाद्यान्न (गेहूं / चावल) का वितरण किया जाना सुनिश्चित करें।

क्र.सं.	माह का नाम	दिवस
01	जनवरी, 2021	25
02	फरवरी, 2021	24
03	मार्च, 2021	25

माह मार्च ,2021 में निर्धारित दिवस का खाद्यान्न दिनांक 01 अप्रेल, 2021 से वितरण किया जाये। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा COVID–19 के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशानुसार Social Distance Maintain करते हुये खाद्यान्न का वितरण किया जाये,।

–sd–
(डॉ.भंवर लाल)
आयुक्त
मिड डे मील

क्रमांकः–एफ 4(142) प्रा.शिक्षा / एमडीएम / एफ.सी.आई. / खाद्यान्न उ0वि0आ0 / पार्ट / 2020–21 / 803 दिनांक 17/03/2021

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान,,जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
4. समस्त जिला रसद अधिकारी ।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, ।
6. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त (प्रशासन)
मिड डे मील

www.eduraj.in

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid day Meal Scheme

क्रमांकः–एफ 4(142) प्रा.शिक्षा/एमडीएम/एफ.सी.आई./खाद्यान्न उ0वि0आ0/पार्ट/2021–22/127 दिनांकः– 01/07/2021

जिला कलक्टर
जिला समस्त ।

विषयः– COVID–19 अन्तर्गत वित्त वर्ष 2021–22 के प्रथम त्रैमास (अप्रेल, 2021 से जून, 2021) की अवधि का खाद्यान्न (गेहूं /चावल) वितरण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में मिड डे मील योजना संचालित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावकों को COVID–19 अन्तर्गत वित्त वर्ष 2021–22 के प्रथम त्रैमास (अप्रेल, 2021 से जून, 2021) की अवधि (35 दिवस) का खाद्यान्न (गेहूं /चावल) उपलब्ध कराया जाना है।

इस अवधि में विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावकों को भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा COVID–19 के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशानुसार Social Distance Maintain करते हुये खाद्यान्न का वितरण किया जाये।

उक्त त्रैमास के 35 दिवसों का खाद्यान्न विद्यार्थियों के अभिभावकों को वितरण किये जाने हेतु समबन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान करने का श्रम करें।

(डॉ.भंवर लाल)
आयुक्त
मिड डे मील

क्रमांकः–एफ 4(142) प्रा.शिक्षा/एमडीएम/एफ.सी.आई./खाद्यान्न उ0वि0आ0/पार्ट/2021–22/127 दिनांक 01/07/2021

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान,,जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
4. समस्त जिला रसद अधिकारी को भिजवाकर लेख है कि विद्यालयों तक खाद्यान्न पहुंचाने हेतु सम्बन्धित परिवहनकतार्आओ को आवश्यक निर्देश प्रदान करें।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, ।
6. लेखा शाखा कार्यालय हाजा।
7. रक्षित पत्रावली।

अति. आयुक्त (वित्त)
मिड डे मील

15 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय

मिड डे मील योजना

(Mid Day Meal Scheme)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid day Meal Scheme

क्रमांकः–एफ 4(142) प्रा.शिक्षा/एमडीएम/एफ.सी.आई./खाद्यान्न उ0वि0आ0/पार्ट/2021–22/294 दिनांकः–26-08-2021

जिला कलेक्टर
जिला समस्त ।

विषयः– COVID–19 अन्तर्गत दिनांक 01 जुलाई, 2021 से 31 अगस्त, 2021 तक की अवधि का खाद्यान्न (गेहूं/चावल) वितरण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मिड डे मील योजना संचालित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावकों को COVID–19 अन्तर्गत दिनांक 01 जुलाई, 2021 से 31 अगस्त, 2021 का खाद्यान्न (गेहूं /चावल) उपलब्ध कराया जाना है।

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2021–22 की आयोजित PAB (Plan Approval Board) मीटिंग में माह जुलाई, 2021 से अगस्त, 2021 तक 48 दिवस अनुमोदित किये गये है। अतः इस अवधि में विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावकों को COVID–19 के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशानुसार Social Distance Maintain करते हुये खाद्यान्न वितरण किया जाये।

वित्त वर्ष 2021–22 के द्वितीय त्रैमास के लिये आवंटित खाद्यान्न का निर्धारित समयावधि में FCI के गौदाम से उठाव कर विद्यालयों तक वितरण किये जाने हेतु सम्बन्धित जिला रसद अधिकारी को आवश्यक निर्देश प्रदान करने का श्रम करें।

(डॉ.भंवर लाल)
आयुक्त
मिड डे मील

क्रमांकः–एफ 4(142) प्रा.शिक्षा/एमडीएम/एफ.सी.आई./खाद्यान्न उ0वि0आ0/पार्ट/2021–22/294 दिनांक 26-08-2021

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान,,जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
4. समस्त जिला रसद अधिकारी को भिजवाकर लेख है कि द्वितीय त्रैमास के खाद्यान्न का शीघ्र उठाव कर विद्यालयों तक खाद्यान्न पहुंचाने हेतु सम्बन्धित परिवहनकर्ता को आवश्यक निर्देश प्रदान करें।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, को निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
6. लेखा शाखा कार्यालय हाजा।
7. रक्षित पत्रावली।

अति. आयुक्त (वित्त)
मिड डे मील

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid day Meal Scheme

क्रमांकः–एफ 4(142) प्रा.शिक्षा/एमडीएम/एफ.सी.आई./खाद्यान्न उ0वि0आ0/पार्ट/2021–22/439 दिनांकः– 18/10/2021

जिला कलेक्टर
जिला समस्त ।

विषयः– दिनांक 01 सितम्बर, 2021 से 30 सितम्बर, 2021 तक की अवधि का खाद्यान्न (गेहूं/चावल) वितरण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मिड डे मील योजना संचालित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावकों को दिनांक 01 सितम्बर, 2021 से 30 सितम्बर, 2021 तक की अवधि का खाद्यान्न (गेहूं /चावल) उपलब्ध कराया जाना है।

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2021–22 की आयोजित PAB (Plan Approval Board) मीटिंग में सितम्बर, 2021 में 26 दिवस अनुमोदित किये गये है। अतः इस अवधि में विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को खाद्यान्न वितरण करने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक निर्देश प्रदान करने का श्रम करें।

वित्त वर्ष 2021–22 के तृतीय त्रैमास के लिये खाद्यान्न का आवंटन किया गया है। उक्त खाद्यान्न का निर्धारित समयावधि में FCI के गौदाम से उठाव कर विद्यालयों तक वितरण किये जाने हेतु सम्बन्धित जिला रसद अधिकारी को निर्देशित करने का श्रम करें।

(डॉ.भंवर लाल)
आयुक्त
मिड डे मील

क्रमांकः–एफ 4(142) प्रा.शिक्षा/एमडीएम/एफ.सी.आई./खाद्यान्न उ0वि0आ0/पार्ट/2021–22/439 दिनांक 18/10/2021

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान,,जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
4. समस्त जिला रसद अधिकारी को भिजवाकर लेख है कि तृतीय त्रैमास के खाद्यान्न का शीघ्र उठाव कर विद्यालयों तक खाद्यान्न पहुंचाने हेतु सम्बन्धित परिवहनकर्ता को आवश्यक निर्देश प्रदान करें।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, को निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
6. लेखा शाखा कार्यालय हाजा।
7. रक्षित पत्रावली।

अति. आयुक्त (वित्त)
मिड डे मील

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid day Meal Scheme

क्रमांकः—एफ 4(142) प्रा.शिक्षा / एमडीएम / एफ.सी.आई / खाद्यान्न उ0वि0आ0 / पार्ट / 2021—22 / 498 दिनांक 11/11/2021

जिला कलेक्टर
जिला समस्त ।

विषयः— माह अक्टूबर, 2021 की अवधि का खाद्यान्न (गेहूं / चावल) वितरण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मिड डे मील योजना संचालित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को माह अक्टूबर, 2021 की अवधि का खाद्यान्न (गेहूं / चावल) उपलब्ध कराया जाना है।

निदेशक,माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा प्रसारित शिविरा पंचांग के अनुसार माह अक्टूबर, 2021 में 20 कार्य दिवस निर्धारित किये गये है। इस अवधि में विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को खाद्यान्न वितरण करने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक निर्देश प्रदान करने का श्रम करें।

वित्त वर्ष 2021—22 के तृतीय त्रैमास के लिये खाद्यान्न का आवंटन किया गया है। उक्त खाद्यान्न का निर्धारित समयावधि में FCI के गौदाम से उठाव कर विद्यालयों तक वितरण किये जाने हेतु सम्बन्धित जिला रसद अधिकारी को निर्देशित करने का श्रम करें ताकि विद्यालयों में खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

(डॉ.भंवर लाल)
आयुक्त
मिड डे मील

क्रमांकः—एफ 4(142) प्रा.शिक्षा / एमडीएम / एफ.सी.आई / खाद्यान्न उ0वि0आ0 / पार्ट / 2021—22 / 498 दिनांक 11/11/2021

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
2. समस्त जिला रसद अधिकारी को भिजवाकर लेख है कि तृतीय त्रैमास के खाद्यान्न का शीघ्र उठाव कर विद्यालयों तक खाद्यान्न पहुंचाने हेतु सम्बन्धित परिवहनकर्ता को आवश्यक निर्देश प्रदान करें।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, को निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
4. लेखा शाखा कार्यालय हाजा।
5. रक्षित पत्रावली।

(भवानी सिंह मीणा)
अति. आयुक्त (वित्त)
मिड डे मील

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid day Meal Scheme

क्रमांकः—एफ 4(142) प्रा.शिक्षा/एमडीएम/एफ.सी.आई./खाद्यान्न उ0वि0आ0/पार्ट/2021—22/591 दिनांकः—08-12-2021

जिला कलेक्टर
जिला समस्त ।

विषयः— माह नवम्बर, 2021 की अवधि का खाद्यान्न (गेहूं/चावल) वितरण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मिड डे मील योजना संचालित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को माह नवम्बर, 2021 की अवधि का खाद्यान्न (गेहूं /चावल) उपलब्ध कराया जाना है।

निदेशक,माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा प्रसारित शिविरा पंचांग के अनुसार माह नवम्बर, 2021 में 19 कार्य दिवस निर्धारित किये गये है। इस अवधि में विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को खाद्यान्न वितरण करने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक निर्देश प्रदान करने का श्रम करें।

(डॉ.भंवर लाल)
आयुक्त
मिड डे मील

क्रमांकः—एफ 4(142) प्रा.शिक्षा/एमडीएम/एफ.सी.आई./खाद्यान्न उ0वि0आ0/पार्ट/2021—22/591 दिनांक 08-12-2021
प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
2. समस्त जिला रसद अधिकारी को भिजवाकर लेख है कि तृतीय त्रैमास के खाद्यान्न का शीघ्र उठाव कर विद्यालयों तक खाद्यान्न पहुंचाने हेतु सम्बन्धित परिवहनकर्ता को आवश्यक निर्देश प्रदान करें।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, को निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
4. लेखा शाखा कार्यालय हाजा।
5. सहायक प्रोग्रामर को ईमेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

(प्रदीप प्रकाश गोयल)
उपायुक्त, प्रशासन

खाद्यान्न मद

आयुक्तालय मिड डे मील जयपुर द्वारा जारी खाद्यान्न वितरण दिवस सूची

क्र.स.	अवधि	कार्य दिवस	आदेश क्रमांक व दिनांक
1	14 मार्च 2020 से 30 जून 2020	94	51 दिनांक 10.06.2020
2	जुलाई 2020	27	310 दिनांक 08.09.2020
3	अगस्त 2020	21	
4	सितम्बर 2020	26	445 दिनांक 11.11.2020
5	अक्टूबर 2020	23	
6	नवम्बर 2020	17	588 दिनांक 07.01.2021
7	दिसम्बर 2020	21	
8	जनवरी 2021	25	803 दिनांक 17.03.2021
9	फरवरी 2021	24	
10	मार्च 2021	25	
11	अप्रेल 2021 से जून 2021	35	127 दिनांक 01.07.2021
12	जुलाई 2021 से अगस्त 2021	48	294 दिनांक 26.08.2021
13	सितम्बर 2021	26	439 दिनांक 18.10.2021
14	अक्टूबर 2021	20	498 दिनांक 11.11.2021
15	नवम्बर 2021	19	591 दिनांक 08.12.2021

श्रीमान आयुक्त महोदय मिड डे मील कार्यक्रम जयपुर के निर्देशानुसार अनुसार मासिक वितरण कार्य दिवस बताये गये है उक्तानुसार ही खाद्यान्न का वितरण किया जाना है फिर भी किसी भी विद्यालय मे इनके अतिरिक्त संस्था प्रधान या राज्य सरकार द्वारा या अन्य किसी कारण से विद्यालय मे अवकाश घोषित किया जाता है तो संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय संचालित कार्य दिवसों के आधार पर वितरण करवाया जा सकता है।

1. प्राथमिक स्तर के छात्र को 100 ग्राम खाद्यान्न एवं उच्च प्राथमिक स्तर के छात्र को 150 ग्राम खाद्यान्न प्रतिदिन उपलब्ध कराया जा रहा है।
2. चालू सत्र 2021–22 के प्रथम त्रैमास (अप्रेल से जुन 2021) एवं द्वितीय त्रैमास (जुलाई से सितम्बर 2021) हेतु आवंटित खाद्यान्न का उठाव कर का उठाव विद्यालयों में वितरित किया जा चुका है।
3. चालू सत्र 2021–22 के तृतीय त्रैमास हेतु खाद्यान्न का आवंटन कर उठाव प्रक्रिया जारी है।

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)

मध्याहन भोजन योजना
Mid day Meal Scheme

क्रमांकः–एफ 4(142) प्रा.शिक्षा / एमडीएम / एफ.सी.आई. / खाद्यान्न उ0वि0आ0 / पार्ट / 2021–22 / 667 दिनांकः– 04/01/2022

जिला कलेक्टर
जिला समस्त ।

विषयः– माह दिसम्बर, 2021 की अवधि का खाद्यान्न (गेहूं/चावल) वितरण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मिड डे मील योजना संचालित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को माह दिसम्बर, 2021 की अवधि का खाद्यान्न (गेहूं /चावल) उपलब्ध कराया जाना है।

निदेशक,माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा प्रसारित शिविरा पंचांग के अनुसार माह दिसम्बर, 2021 में 21 कार्य दिवस निर्धारित किये गये है। इस अवधि में विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को खाद्यान्न वितरण करने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक निर्देश प्रदान करने का श्रम करें।

(डॉ.भंवर लाल)
आयुक्त
मिड डे मील

क्रमांकः–एफ 4(142) प्रा.शिक्षा / एमडीएम / एफ.सी.आई. / खाद्यान्न उ0वि0आ0 / पार्ट / 2021–22 / 667 दिनांक 04/01/2022

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
2. समस्त जिला रसद अधिकारी ।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, को निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
4. लेखा शाखा कार्यालय हाजा।
5. सहायक प्रोग्रामर को ई–मेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

(प्रदीप प्रकाश गोयल)
उपायुक्त, प्रशासन

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid day Meal Scheme

क्रमांकः—एफ 4(142) प्रा.शिक्षा / एमडीएम / एफ.सी.आई. / खाद्यान्न उ0वि0आ0 / पार्ट / 2021—22 / 743 दिनांकः— 07-02-2022

जिला कलेक्टर
जिला समस्त ।

विषयः— माह जनवरी, 2022 की अवधि का खाद्यान्न (गेहूं / चावल) वितरण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मिड डे मील योजना संचालित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को माह जनवरी, 2022 की अवधि का खाद्यान्न (गेहूं / चावल) उपलब्ध कराया जाना है।

निदेशक,माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा प्रसारित शिविरा पंचांग के अनुसार माह जनवरी, 2022 में 26 कार्य दिवस निर्धारित किये गये है। इस अवधि में विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को खाद्यान्न वितरण करने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक निर्देश प्रदान करने का श्रम करें।

(डॉ.रश्मि शर्मा)
आयुक्त
मिड डे मील

क्रमांकः—एफ 4(142) प्रा.शिक्षा / एमडीएम / एफ.सी.आई. / खाद्यान्न उ0वि0आ0 / पार्ट / 2021—22 / 743 दिनांक 07-02-2022
प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
2. समस्त जिला रसद अधिकारी को भिजवाकर लेख है कि चतुर्थ त्रैमास के खाद्यान्न का शीघ्र उठाव कर विद्यालयों तक खाद्यान्न पहुंचाने हेतु सम्बन्धित परिवहनकर्ता को आवश्यक निर्देश प्रदान करें।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, को निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
4. लेखा शाखा कार्यालय हाजा।
5. सहायक प्रोग्रामर को ईमेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

(भवानी सिंह मीणा)
अति.आयुक्त

पताः—प्रथम तल, नवजीवन सहकारी बाजार, सी—स्कीम, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर।
ई—मेल mdm-rj@nic.in

पवन कुमार गोयल, आई.ए.एस.
अतिरिक्त मुख्य सचिव

सत्यमेव जयते

स्कूल शिक्षा, भाषा, पुस्तकालय एवं
पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग

क्रमांक एफ. 4(220)प्रा.शि/एमडीएम/दिशा–निर्देश/2016/790 दिनांकः 24-02-2022

जिला कलक्टर,
जिला–समस्त।

विषयः–कोविड–19 की परिस्थितियों के उपरान्त विद्यालयों में पुनः गर्म भोजन उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में।

आप सभी को विदित है कि कोविड–19 की परिस्थितियों के कारण राज्य में 14.03.2020 से विद्यालय बंद होने से विद्यार्थियों/अभिभावकों को खाद्य सुरक्षा भत्ते के रूप में सूखा राशन (गेहूँ/चावल) दाल, तेल, मसाले एवं कॉम्बो पैकेट वितरित किये जा रहे हैं। वर्तमान में गृह विभाग द्वारा कोविड–19 के संबंध में प्रतिबंधों में शिथिलता दिये जाने के निर्देशों की अनुपालना में दिनांक 16.2.2022 से समस्त विद्यालयों में अध्यापन का कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

कक्षा 01 से 08 तक के विद्यार्थियों को पूर्व की भांति पुनः गर्म भोजन उपलब्ध करवाया जाना है। आप इस संबंध में दिनांक 09.03.2022 से विद्यार्थियों को गर्म भोजन उपलब्ध करवाये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। चूंकि दिनांक 14.03.2020 से विद्यार्थियों को गर्म भोजन उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है इसलिए किचन स्टोर एवं बर्तनों का उपयोग भी नहीं किया जा रहा होगा।

अतः सर्वप्रथम किचन स्टोर, बर्तन, एवं जहां विद्यार्थियों को गरम भोजन उपलब्ध करवाया जायेगा उस स्थान की साफ–सफाई समुचित प्रकार से करवाया जाना सुनिश्चित करें।

इसी क्रम में विभाग द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से पूर्व में भी स्वास्थ्य सुरक्षा, साफ–सफाई, खाद्यान्न का रख–रखाव, भोजन की गुणवत्ता एवं पौष्टिकता तथा अन्य संबंधित दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। इन्हें पुनः जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, मुख्यालय, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पीईईओ, विद्यालय प्रबन्धन समिति एवं संस्था प्रधानों के सुलभ संदर्भ हेतु निम्नानुसार पुनः प्रेषित किया जा रहा है। संबंधित अधिकारियों को इन दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करें:–

➢ **स्वास्थ्य सुरक्षा एवं साफ–सफाई के संबंध में निर्देश**

1. भोजन बनाये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि भोजन बनाने एवं भोजन परोसने एवं खाना खाये जाने वाले बर्तन पूरी तरह साफ हो।
2. कुक कम हेल्पर्स का समय–समय पर मेडिकल चेक–अप आवश्यक रूप से करवाया जाये।

---2.

3. कुक कम हेल्पर्स को स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी सामान्य बातें जैसे नियमित रूप से नाखुन काटना, हाथ धोकर खाना बनाना, स्वच्छ कपड़े पहनना आदि की जानकारी दी जाये।
4. छात्र/छात्राओं को भी स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी सामान्य जानकारी जैसे खाना खाने से पूर्व साबुन से हाथ धोना, नियमित नाखुन काटना, खाना खाने वाले बर्तनों की साफ–सफाई आदि की जानकारी आवश्यक रूप से दी जाये ।
5. डिवार्मिंग के विशेष प्रयास किये जाने चाहिये। शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष में 2 बार डिवार्मिंग एवं विटामिन ए की खुराक दी जाये। सप्ताह में एक बार आयरन एवं फोलिक एसिड की टेबलेट वितरित किया जाना भी सुनिश्चित करें।

➢ **खाद्यान्न का रख–रखाव एवं सुरक्षा के संबंध में निर्देश**

1. प्रायः यह देखने में आया है कि विद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध होने के बावजूद भी अगली तिमाही के लिए खाद्यान्न की मांग की जाती है। इससे शाला में खाद्यान्न का स्टॉक आवश्यकता से अधिक हो जाता है। कई विद्यालयों में 2 से 3 तिमाही तक का खाद्यान्न स्टॉक में उपलब्ध है। स्टॉक आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न इकट्ठा हो जाने के कारण इसके खराब होने की सम्भावना बढ़ जाती हैं। अतः यह हर परिस्थिति में सुनिश्चित किया जाये की प्रत्येक तिमाही के लिए वर्तमान में उपलब्ध खाद्यान्न एवं अगली तिमाही की मांग को ध्यान में रखते हुये ही खाद्यान्न की मांग की जाये। विद्यालयों में किसी भी स्थिति में एक तिमाही की मांग से अधिक खाद्यान्न स्टॉक में नहीं होना चाहिये।
2. खाद्यान्न को एक निशिचित ऊँचाई (कम से कम 6 इंच) के प्लेटफार्म पर दीवारों से दूर रखा जाये जिससे चूहे एवं अन्य कीड़े–मकोड़ों की समस्या से बचा जा सकें।

3– खाद्यान्न रखे जाने वाले कमरे में वेन्टीलेशन की पर्याप्त व्यवस्था हो जिसमें नमी के कारण अनाज के खराब हाने की समस्या से बचा जा सकें।

4. खाद्यान्न के उचित रख–रखाव हेतु इसे लोहे के बडे ड्रम्स में रखा जा सकता है।
5. भारतीय खाद्य निगम की नियमावली के अनुसार खाद्यान्न तीन महीनें तक सुरिक्षत रहता है। इसके पश्चात खाद्यान्न में इल्ली या अन्य कीड़ा लगने की सम्भावना रहती है। अतः खाद्यान्न की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। यदि खाद्यान्न इल्ली या कीड़ा लगने या नमी के कारण खराब हो गया हो तो उसे खाने के काम में नहीं लिया जाये।
6. नये खाद्यान्न को पुराने खाद्यान्न से अलग रखा जाये।
7. खाद्यान्न को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी स्थिति में पेस्टीसाईड या कीड़े एवं चूहे मारने के लिए काम आने वाला कोई भी रसायनिक पदार्थ उपयोग में नहीं लिया जाये। ऐसा कोई जहरीला या हानिकारक पदार्थं रसोई या खाद्यान्न भण्डारण के आस–पास नहीं रखा जाये।

➢ **भोजन की गुणवत्ता एवं पौष्टिकता के संबंध में निर्देश**

1. भोजन की गुणवत्ता एवं पौष्टिकता बनायें रखने के लिए भारत सरकार के दिशा–निर्देश के अनुरूप ही भोजन में खाद्यान्न, दाल, मसाले एवं तेल की निर्धारित मात्रा उपयोग में ली जाये एवं साथ ही इनकी गुणवत्ता (क्वालिटी) का भी विशेष ध्यान रखा जाये।
2. खाद्यान्न, दालें, मसाले एवं सब्जियॉ अच्छी तरह साफ एवं धोकर काम में ली जाये। यदि खाद्यान्न खाने योग्य नहीं है तो उसे किसी भी स्थिति में उपयोग में नहीं लिया जाये।
3. उच्च गुणवत्तायुक्त दाल, तेल व मसाले उपयोग में लिया जाये।
4. मिड डे मील योजना के अन्तर्गत प्रतिदिन दिये जा रहें मेन्यू में दिशा–निर्देशों के अनुरूप पौष्टिक तत्वों की मात्रा सुनिश्चित किये जाने के लिए यह आवश्यक है कि भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियॉ अधिक से अधिक उपयोग ली जाये।

----3

5. यह सुनिश्चित किया जाये कि मध्याह्न भोजन योजना में दी जाने वाली चपाती अच्छी तरह से पकी हुई हो। साथ ही किसी भी परिस्थिति में जली हुई नहीं हो।
6. चपाती को और अधिक पौष्टिक एवं स्वादिष्ट बनाने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियॉ जैसे पालक, बथुआ, लौकी, मैथी, धनिया आदि आटे में मिलाकर मसालों के साथ तैयार की जा सकती है।
7. दाल, सब्जी अथवा खिचड़ी की पौष्टिकता बनाये रखने के लिए जहॉ तक सम्भव हो प्रेशर कुकर में ही पकाया जाये।
8. ताजा सब्जियों की अनुपलब्धता होनें पर हरी पत्तेदार सब्जियों को सुखाकर व पीसकर, दाल, खिचड़ी, इत्यादि में काम लिया जा सकता है।
9. सप्ताह में एक बार मौसमी फल आवश्यक रूप से दिया जाये। सर्दियों में अमरूद एवं बाकी मौसम में केला आवश्यक रूप से छात्रों को दिया जाये। दोनों ही फल आसानी से छोटी से छोटी जगह पर उपलब्ध हो जाते है।
10. विद्यालयों में किचन गार्डन तैयार किये जाने चाहिये जिनमें हरी पत्तेदार सब्जियॉ पालक, धनिया, मैथी, मिर्च, टमाटर, नींबू इत्यादि उगाये जा सकते है तथा भोजन बनाने के उपयोग में लिया जा सकता है।
11. भोजन में डबल फोर्टीफाईड नमक एवं तेल का उपयोग किया जाना चाहिये।

➢ **कोविड–19 के प्रोटोकॉल संबंधी निर्देश :**

1. मध्यान्ह भोजन करने से पूर्व एवं बाद में साबुन से 40 सेकेण्ड तक अच्छी तरह हाथ साफ करवाये जाये।
2. विद्यालय में हाथ धोने एवं साफ–सफाई हेतु निश्चित स्थान होना चाहिए, जहॉ विद्यार्थी आपस में दूरी रखते हुए लिक्विड साबुन–पानी के साथ हाथ धो सके।
3. विद्यार्थियों को 40 सेकेण्ड तक हाथ धोने चाहिए।
4. अध्यापकों को अपनी निगरानी में सावधानी पूर्वक हाथ धुलवान होंगे।
5. यह भी सुनिश्चित करे कि सभी विद्यार्थियों हेतु बाल्टी, मग तथा हाथ धोने के प्रयोग में आने वाली सभी चीजें उपलब्ध हों।

➢ **अन्य महत्तवपूर्ण दिशा–निर्देश**

1. प्रत्येक विद्यालय में गठित विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) को अधिकाधिक सक्रिय बनाया जाये और यह प्रयास किया जाये कि मिड डे मील के संचालन में उनकी महती भूमिका हो। इसके
   लिए यदि आवश्यक हो तो समिति में अधिक सक्रिय एवं जागरुक सदस्यों को सम्मिलित किया जाये।
2. **पूर्व में दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थियों को मिड डे मील परोसने से पहले दो बडे व्यक्तियों द्वारा इसे अनिवार्य रुप से चखा जाये जिसमें एक अभिभावक तथा एक विद्यालय प्रबन्धन समिति का सदस्य हो। इसके लिए अभिभावकों और विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों का रोस्टर तैयार किया जाये और इसका इन्द्राज प्रतिदिन रजिस्टर में किया जाये, ताकि यह सुनिश्चित हो सकें कि पोषाहार को विद्यार्थियों को खिलाने से पहले दो व्यक्तियों द्वारा चख लिया गया है और वह पूर्णतः सुरक्षित है। प्रत्येक विद्यालय में इसके लिये किसी एक अध्यापक को उत्तरदायी बनाया जाये।**

---4.

3. प्रत्येक विद्यालय में ही मिड डे मील के क्रियान्वयन के पूर्ण एवं प्रभावशाली निरीक्षण किये जाये। इन निरीक्षण रिपोर्टो की जिला कलक्टर की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली बैठक में समीक्षा की जाये और उसके आधार पर पायी गई कमियों एवं समस्याओं का तुरन्त निराकरण किया जाये ।
4. यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक अधिकारी निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रतिमाह निरीक्षण करें। इन अधिकारियों के द्वारा किये गये. निरीक्षण की प्रतिमाह जिला स्तर पर समीक्षा की जाना सुनिश्चित किया जाये। जिससे लंबे अंतराल के पश्चात विद्यार्थियों को पुनः उपलब्ध करवाये जा रहे गर्म भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।
5. मिड डे मील कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में प्राप्त शिकायतो का निस्तारण अविलम्ब किया जाये। इसके लिए जिला स्तर पर एक जन अभाव अभियोग निराकरण प्रकोष्ठ का गठन किया जा सकता है। प्रतिमाह शिकायतों के निस्तारण की प्रगति की भी समीक्षा की जाये ।
6. योजनान्तर्गत जिला एवं ब्लॉक स्तर पर जिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा एवं संचालन समिति गठित की हुई है। उक्त समितियों की बैठक प्रतिमाह आयोजित करवाई जाये एवं योजना से सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण त्वरित गति से करवाया जाये।
7. योजनान्तर्गत संचालित समस्त राजकीय विद्यालयों में मिड डे मील वितरित किये जाने वाले भोजन की जॉच NABL की प्रयोगशालाओं में समय–समय पर करवाया जाये तथा वितरित किये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाना सुनिश्चित किया जाये ।

अतः उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाये।

Sd/=
(पवन कुमार गोयल)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार
2. विशिष्ठ सहायक, मा0 शिक्षा मंत्री/माननीया राज्य मंत्री, शिक्षा, राजस्थान सरकार
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदया
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा
5. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक/संस्कृत शिक्षा
6. समस्त संयुक्त शासन सचिव/वरि.शासन उप सचिव/शासन उप सचिव
7. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
8. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा

(रश्मि शर्मा)
आयुक्त, मिड–डे–मील

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त, मिड–डे–मील कार्यक्रम

नवजीवन सहकारी बाजार (उपहार), प्रथम तल,
भवानी सिंह मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302001
ई–मेलः– rajmdm@rediffmail.com

मध्याह्न भोजन योजना – राजस्थान
Mid day Meal Scheme - Rajasthan

क्रमांकःएफ.4(220)प्रा. शि./एमडीएम/दिशा–निर्देश/2016/2019/819 दिनांकः 04-03-2022

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा,
जिला समस्त।

विषयः–विद्यालयों में मध्याह्न भोजन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के क्रम में।

संदर्भः–भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली का अ.शा. पत्रांकः–D.O. No. 1-6/2009-Desk(MDM) दिनांक 08.10.2015, भारत सरकार का राजपत्र संख्या 599 नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2015/आश्विन 8, 1937 दिनांक 30.09.2015 तथा विभागीय पत्रांक 790 दिनांक 24.02.2022 के क्रम में।

आप सभी को विदित है कि दिनांक 09 मार्च, 2022 से विद्यालयों में गर्म भोजन उपलब्ध करवाया जाना है। इस संबंध में आपके द्वारा समुचित व्यवस्थायें कर ली गई होगी। गर्म भोजन उपलब्ध कराने के लिये खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) के अतिरिक्त कुकिंग कन्वर्जन राशि की आवश्यकता भी रहेगी।

वर्तमान में PFMS व्यवस्था लागू होने के कारण जिलों के विद्यालयों में मिड डे मील योजना से संबंधित राशि को SNA में हस्तान्तरित किया जा रहा है। अतः इस बात की संभावना है कि विद्यालयों में कुकिंग कन्वर्जन राशि उपलब्ध ना हो।

विद्यार्थियों को गर्म भोजन उपलब्ध कराने में बाधा ना हो, इसके लिये उपर्युक्त संदर्भित भारत सरकार के राजपत्र के बिन्दू संख्या 7(2) के अनुसार राशि के अभाव में मध्याह्न भोजन योजना बाधित ना हो, इसके लिये निम्न निर्देश हैः–

"स्कूल का प्रधानाध्यापक अथवा प्रधानाध्यापिका को सशक्त अधिकार होगा कि वह स्कूल में खाद्यान्न, पकाने की लागत आदि अस्थायी तौर पर उपलब्ध न होने के मामले में मध्याह्न भोजन स्कीम जारी रखने के प्रयोजन के लिए स्कूल में उपलब्ध निधि का उपयोग करे। मध्याह्न भोजन के लिए निधियां प्राप्ति होते ही तत्काल स्कूल के खाते में उपयोग की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी।"

अतः उपर्युक्त निर्देश के क्रम में विद्यालय में उपलब्ध किसी भी निधि से राशि का उपयोग कर मध्याह्न योजना का निर्वात संचालन जारी रखा जावें एवं तत्पश्चात उपयोग की गई धनराशि को मध्याह्न भोजन के लिये निधिया प्राप्त होते ही उसकी प्रतिपूर्ति कर दी जाये।

(डॉ. रश्मि शर्मा)
आयुक्त
मिड डे मील

क्रमांकःएफ.4(220)प्रा. शि./एमडीएम/दिशा–निर्देश/2016/2019/819 दिनांकः 04-03-2022
प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. जिला कलक्टर, जिलाः–समस्त।

आयुक्त
मिड डे मील

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid day Meal Scheme

क्रमांकः—एफ 4(142) प्रा.शिक्षा/एमडीएम/एफ.सी.आई./खाद्यान्न उ0वि0आ0/पार्ट/2021—22/442 दिनांकः— 04.08.22

जिला कलेक्टर
जिला समस्त ।

विषयः— दिनांक 01 फरवरी, 2022 से 08 मार्च, 2022 तक की अवधि का खाद्यान्न (गेहूं/चावल) वितरण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मिड डे मील योजना संचालित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग द्वारा प्रसारित शिविरा पंचांग में निर्धारित कार्य दिवसों के अनुसार दिनांक 01 फरवरी, 2022 से 08 मार्च, 2022 तक कुल 30 दिवस की अवधि का खाद्यान्न (गेहूं /चावल) उपलब्ध कराया जाना है।

उक्त अवधि का खाद्यान्न पात्र विद्यार्थियों को वितरण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि खाद्यान्न वितरण के उपरान्त विद्यालयों में खाद्यान्न की पर्याप्त उपलब्धता हो ताकि विद्यार्थियों को गर्म भोजन उपलब्ध कराने में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। यदि किसी संस्था में पर्याप्त खाद्यान्न न हो तो विद्यालय में खाद्यान्न प्राप्त होने के उपरान्त ही इस अवधि का खाद्यान्न वितरित किया जाये।

अतः सम्बन्धित को इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश प्रदान करने का श्रम करें।

(डॉ.मोहन लाल यादव)
आयुक्त
मिड डे मील

क्रमांकः—एफ 4(142) प्रा.शिक्षा/एमडीएम/एफ.सी.आई./खाद्यान्न उ0वि0आ0/पार्ट/2021—22/442 दिनांक 04.08.22

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
2. समस्त जिला रसद अधिकारी को भिजवाकर लेख है कि खाद्यान्न का शीघ्र उठाव कर विद्यालयों तक खाद्यान्न पहुंचाने हेतु सम्बन्धित परिवहनकर्ता को आवश्यक निर्देश प्रदान करें।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, को निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
4. लेखा शाखा कार्यालय हाजा।
5. सहायक प्रोग्रामर को ईमेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

(भवानी सिंह मीणा)
अति.आयुक्त